

गुस्ता घा जाता है। अगर इस तरह के वाक्य न लिखे होते, तो ऐसी बात न होती। मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ लेकिन एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए और आप के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि वह इस प्रकार का कोई बिल अपनी ओर से लाए, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिले और हमारे बमं ग्रन्थ बड़े पवित्र और सुन्दर और आदर्श माने जाएं।

मैं मंत्री जी को बन्ववाद देता हूँ और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि**

लेकिन मेरा मतलब किसी को अपमानित करने का नहीं है।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Shastri, I think you are not pressing for the Bill. Are you withdrawing it?

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : I withdraw it.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for a review of Hindu scriptures and other religious literature and for that purpose establish a Commission and for matters connected therewith, with a view to identify and omit or amend such words, sentences, paragraphs, stanzas, chapters, etc. from the scriptures and other religious literature which tend to encourage

or propagate hatred, discrimination, inequality or untouchability among citizens on grounds of religion, race, casts, sex, vocation or place of birth, in violation of the principles enshrined in the Constitution of India and the solemn resolution of the people of India contained in the preamble to the Constitution."

The motion was adopted.

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : I withdraw the Bill.

17.57 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Article 51)

SHRI RATANSINH RAJDA: (Bombay South): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI RATANSINH RAJDA : I introduce the Bill.

17.58 hrs.

RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) BILL.

श्री सुरज भाग (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2 dated 23.3.1984.

सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बिल शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सविसेज में रिजर्वेशन को एक्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट करने के लिए है। स्व. बाबा साहिब अम्बेडकर ने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 16 (4) में इसके बारे में लिखा है लेकिन बदकिस्मती की बात है कि संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं हो रहा है। अपने बिल के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कल रात को 9 बजे हिन्दी न्यूज में पीने 10 बजे की अंग्रेजी की न्यूज में टी. वी. पर जो खबर दी गई, उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :

पिछले 17 वर्षों में केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह बात गृह मंत्रालय को कार्य और प्रशासक सुधार विभाग की 1983-84 की रिपोर्ट में बताई गई है...

18.00 hrs.

जनवरी 82 में केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लगभग 5 लाख 21 हजार कर्मचारी थे जो कि सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या का 16.67 प्रतिशत है। संविधान में यह कहा गया है कि कुल सरकारी कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं मिनिस्टर आफ इंकमेंशन एण्ड ब्राडकास्टिंग से पूछना चाहूंगा कि उनकी इफार्मेशन का स्रोत क्या है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहीं भी इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं। मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि बहुत-सारी जगहों पर तो जीरो परसेंट है। यह बूँकि मेरा बिल अमाना था, इसलिए गलत इम्प्रेसन बनाने के लिए कहा गया है।

MR. DEPUTY SPEAKER: He may continue his speech next time.

The House now stands adjourned to again at 11 a. m. on Monday.

18.01 hrs.

The Lok Sabha has adjourned to meet at Eleven of the Clock on Monday the 26th March 1984 Chaitra 6, 1906 (Saka)